न्यायमूर्ति एमएम कुमार और निर्मलजीत कौर के समक्ष,

बेजुल सोमैया एवम अन्य— याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा सरकार एवम अन्य — उत्तरदातागण

C.W.P. 2007 की संख्या 3648

27 अगस्त, 2009

भारत का संविधान, ***1950*** — अनुच्छेद ***226*** — हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, ***1984*** — धारा ***20*** और ***131 (2) (4*** — हरियाणा सहकारी सोसायटी नियम, ***1989*** — परिशिष्ट 'ए', नियम***34*** — चुनाव सहकारी सोसायटी — वोट देने का अधिकार — धारा ***20*** प्रत्येक सदस्य को अनुदान देता है एक सहकारी समाज समाज के मामलों में एक वोट देने का— परिशिष्ट 'ए' का नियम ***34*** केवल एक वोट डालने के लिए एक सदस्य के अधिकार को प्रतिबंधित करता है निर्वाचित होने के लिए कार्यकारी सदस्यों की संख्या के बावजूद — क्या धारा ***20*** से अभिप्रेत है के एक सदस्य कों समाज के मामलों में एक मत एक वोट डालने का अधिकार होगा संस्था के मामले — निर्णय, नहीं। धारा***20*** के अनुसार एक सदस्य चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के अनु रूप होगा— प्रावधान आरआई के। ***1989*** के प्रावधान के नियम ***34*** धारा***131 (2) (***एक्स***) 1984*** अधीनियम के अधिकारातीत के रूप में आयोजित किए जाते हैं।

अभिनिर्धारित किया कि संस्था के सदस्य को प्रदत्त वोट का अधिकार अधिनियम की धारा *131(2)(x)* द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार की शक्ति से प्राप्त नहीं होता है। अधिनियम की धारा *20* द्वारा सदस्यों के वोट देने के अधिकार का ध्यान रखा गया है, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास समाज के मामलों में एक वोट होगा, जिसका अर्थ हम पहले ही समझ चुके हैं। एक बहु-सदस्यीय सहकारी समिति में प्रत्येक सदस्य को चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर वोट देने का अधिकार होगा। इसके बाद, धारा स्वयं ही क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है और अधिनियम की धारा *131(2)(x)* केवल सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार को वोट देने के अधिकार को कम करके समाज के सदस्यों को दिए गए अधिकार को सीमित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम *34* का भाग अधिनियम की धारा *131 (2) (x)* द्वारा राज्य सरकार को दिए गए प्राधिकरण से नहीं आता है। तदनुसार, हम मानते हैं कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम *34* का हिस्सा अधिनियम की धारा *131 (2) (x)* के प्रावधानों के अनुसार सरकार की शक्ति और क्षमता के दायरे से बाहर है। इसलिए, हम नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम *34* के भाग की घोषणा करते हैं, अर्थात् "और प्रत्येक मतदाता को आम सभा की बैठक में चुनाव में सभी उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट देने का अधिकार होगा।" अधिनियम की धारा *131(2)(x)* के अधिकारातीत होगा।

(28H.R. पंजाब और हरियाणा 2010 (पूर्ण)

पैरा 19)

अरुण काठपालिया, अधिवक्ता, और सुश्री जैश्री ठाकुर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए.

सुश्री रितु बाहरी डीएजी हरियाणा, प्रतिवादी १, २, ६,, और 8, राजस्व-प्रतिवादी के लिए.

लोकेश सिंहल, अधिवक्ता प्रतिवादी 3 और 5 के लिए

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर यह याचिका हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') की धारा 20 के प्रावधानों को अधिकारातीत घोषित करने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना करती है। संविधान के अनुच्छेद 14 के. यह भी प्रार्थना की गई है कि हरियाणा सहकारी सोसायटी नियम 1989 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 को अधिनियम के दायरे से बाहर घोषित किया जाए। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी 4 नवंबर, 2006 (पी-1) के आदेश को रद्द करने के लिए एक और प्रार्थना भी की गई है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सरस्वती कुंज को ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, वज़ीराबाद, गुड़गांव-प्रतिवादी संख्या 5 (संक्षेप में, 'सोसाइटी') के सदस्य हैं। दावा किया जाता है कि सोसायटी में लगभग 9,200 सदस्य हैं। 29 नवंबर, 2004 को, कुछ अनियमितताओं के कारण, सहायक रजिस्ट्रार-प्रतिवादी संख्या 7 ने सोसायटी की तत्कालीन प्रबंध समिति को निलंबित कर दिया और निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, गुड़गांव को सोसायटी का प्रशासक नियुक्त किया गया। 2 फरवरी, 2005 को, सोसायटी की तत्कालीन प्रबंध समिति को प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा हटा दिया गया था और प्रशासकों के एक बोर्ड में उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, निरीक्षक, सहकारी समितियां-प्रतिवादी संख्या 6,7 और 8 शामिल थे और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) गुड़गांव नियुक्त किया गया। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को बाद में गुड़गांव मंडल के आयुक्त डॉ. अवतार सिंह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। श्री सुरेश अग्रवाल-प्रतिवादी नंबर 3 को नए चुनाव होने तक सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक मंडल द्वारा 'चुनाव प्रबंधक-सह-प्रबंधक' के रूप में नियुक्त किया गया था। चुनाव प्रबंधक-सह-प्रबंधक-प्रतिवादी संख्या 3 और रिटर्निंग अधिकारी-प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा सोसाइटी की प्रबंध समिति के चुनाव 19 नवंबर, 2006 को तय किए गए थे। उस संबंध में समाचार पत्र में एक दृश्य प्रकाशित किया गया था जिसमें चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई थी।(पी -2).

(3) इस बीच, तत्कालीन प्रबंध समिति के सदस्यों ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की। 2006 की संख्या 17066 में इस न्यायालय में उन्हें हटाने और बोर्ड की नियुक्ति को चुनौती दी गई। शुरुआत में इस न्यायालय द्वारा सोसायटी के चुनावों पर रोक लगा दी गई थी, हालाँकि, 25 जनवरी, 2007 को उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई थी

और यह निर्देश दिया गया था कि चुनाव शीघ्रता से नए सिरे से कराए जाएं ताकि प्रक्रिया 31 मार्च, 2007 तक पूरी हो जाए (पी-3) . 18 मार्च 2007 को होने वाले सोसायटी के चुनाव कार्यक्रम के संबंध में 11 फरवरी को एक और सूचना प्रकाशित की गई (पी-4)।

(4) 4 नवंबर, 2006 को, सोसायटी के कुछ सदस्यों ने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या सदस्यों को सभी सात पदों के लिए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी या उन्हें वोट देने की अनुमति दी जाएगी। केवल एक उम्मीदवार (पी-5)। 4 नवंबर, 2006 को ही प्रतिवादी संख्या 3 ने एक आदेश पारित कर इस प्रकार स्पष्ट किया:-

"(i) सहकारी समिति की सामान्य बैठक में, प्रत्येक मतदाता को चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना है।

(ii) निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार जो सबसे अधिक वैध वोट प्राप्त करेंगे उन्हें निर्वाचित माना जाएगा

जैसे कि.: अभ्यर्थियों की कुल संख्या-20, निर्वाचित होना=7 ,

सबसे ज्यादा वोट पाने वाले सातों को चुना जाएगा।

(iii) एक मतदाता केवल मत का प्रयोग कर सकता है और केवल एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकता है। " (महत्व जोड़ें)।

(5) उपरोक्त स्पष्टीकरण/आदेश दिनांक 4 नवंबर, 2006 (पी-1) के अवलोकन से पता चलता है कि एक योग्य सदस्य ही मतदान कर सकता है। एक उम्मीदवार के लिए जबकि प्रबंध समिति के गठन के लिए सात सदस्यों का निर्वाचित होना आवश्यक था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उपरोक्त निर्णय उन्हें सोसायटी के मामलों में प्रभावी रूप से भाग लेने के उनके अधिकार से वंचित करता है और यह अधिनियम की धारा 20 के साथ-साथ नियमों के विभिन्न प्रावधानों की गलत व्याख्या पर आधारित है। उस संबंध में सोसायटी के कुछ सदस्यों ने अपने वकील के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को दिनांक 1 दिसंबर 2006 को एक पत्र भेजा था। (पी 6 और पी 7) तथ्यों की इस पृष्ठभूमि पर याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका दायर की है।

(6) मामला 15 मार्च, 2007 को एक खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया और प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने तब नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी और उन्हें अनुमति दी गई थी। आगे यह निर्देश दिया गया कि चुनाव 4 नवंबर, 2006 (पी-1) के स्पष्टीकरण/आदेश के अनुसार आयोजित किया जाए, हालांकि, चुनाव का परिणाम तत्काल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होना था।

(7) हालाँकि दो अलग-अलग लिखित कथन दायर किए गए हैं, एक प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 और 8 की ओर से और दूसरा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से। हालाँकि, उनकी सामग्री और कथन लगभग समान हैं। उत्तरदाताओं द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि अधिनियम की धारा 28(2) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे स्थगित नहीं किया जा सकता है और चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर केवल चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद विचार किया जा सकता है। गुणागुन के आधार पर तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया गया है। हालाँकि, इस बात से इनकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी कोई भी निर्देश अधिनियम की धारा 20 के विपरीत है। यह भी दावा किया गया है कि नियम क़ानून के अनुरूप बनाए गए हैं और उनमें कोई अस्पष्टता नहीं है।

(8) याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 6 और 8 के लिखित बयान पर भी प्रत्युत्तर दाखिल किया है, जिसमें रिट याचिका की सामग्री को दोहराने के अलावा, उन्होंने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (संक्षिप्तता के लिए, 'दिल्ली अधिनियम') और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (संक्षिप्तता के लिए, 'यू.पी. अधिनियम') के प्रावधानों का उल्लेख किया है। जिसका वर्णन आगामी पैरा में किया जाएगा।

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अरुण कठपालिया और कुमारी जयश्री ठाकुर ने तर्क दिया है कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' का नियम 34 अधिनियम की धारा 20 के अधिकारतित है, क्योंकि अधिनियम की धारा 20 अनुदान देती है सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य समिति के मामलों में एक वोट देने का। विद्वान वकील के अनुसार इसका मतलब यह होगा कि चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचित उम्मीदवार को सीधे तौर पर संस्था के कार्यक्रमों से वास्ता होगा और एक सदस्य केवल एक सदस्य के लिए एक वोट डालने का हकदार होगा। उन्होंने कहा है कि सोसायटी के मामले के संबंध में याचिकाकर्ताओं के वोट देने के अधिकार को केवल एक उम्मीदवार के लिए वोट करने की अनुमति देकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्य उम्मीदवार सोसायटी के मामलों में समान रूप से

रुचि रखते हैं और शामिल हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' का नियम 34 निर्वाचित होने वाले कार्यकारी सदस्यों की संख्या की परवाह किए बिना किसी सदस्य के केवल एक वोट डालने के अधिकार को प्रतिबंधित करके उपरोक्त अधिकार को कम कर देता है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि यदि किसी सदस्य को दिए गए अधिकार के अनुसार सदस्यों/मतदाताओं को वोट दिए जाने वाले सदस्य को छोड़कर बाकी कार्यकारी सदस्यों के चुनाव के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, तो धारा 20 का आदेश अधिनियम का उल्लंघन होगा क्योंकि सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के मामलों में एक वोट का अधिकार दिया गया है और नियम 34 के आधार पर वह एक से अधिक सदस्यों का चुनाव और मतदान नहीं कर सकेगा। विद्वान वकील के अनुसार ऐसा निर्माण अधिनियम की धारा 131 के इरादे और उद्देश्यों के विपरीत होगा, जो सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (2) के खंड (x) के अनुसार, नियम समिति के सदस्यों के चुनाव और नामांकन, अधिकारियों की नियुक्ति या चुनाव, सदस्यों के निलंबन और निष्कासन का प्रावधान कर सकते हैं। अन्य अधिकारी आदि। उन्होंने कहा है कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 20 के आदेश का उल्लंघन हुआ है, जो प्रावधान करता है कि सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को संस्था के मामलों में एक वोट देना होगा क्योंकि कार्यकारी सदस्य बनने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार का चुनाव समाज के मामलों से संबंधित होगा।

(10) उन्होंने आगे तर्क दिया है कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 41 के प्रावधान परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 के साथ टकराव में खड़े होंगे, जो विचार करता है और प्रदान करता है कि सदस्यों को सभी के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है हाथ उठाकर प्रतियोगी का चुनाव करके रिक्तियाँ।

(11) उनका वैकल्पिक तर्क यह है कि अधिकारियों द्वारा दी गई व्याख्या विधायिका द्वारा अपेक्षित नहीं हो सकती है जिसने अधिनियम की धारा 20 बनाई है। इस संबंध में उन्होंने यूपी के प्रावधानों पर भरोसा जताया है. कार्यवाही करना। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यूपी अधिनियम की धारा 20 विचाराधीन अधिनियम के समान है। उन्होंने यूपी के नियम 443 (6) पर भरोसा जताया है। अधिनियम जो कहता है कि प्रत्येक मतदाता के पास उतने ही वोट होंगे जितने निर्वाचित होने वाले व्यक्ति हैं और कोई भी मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक वोट नहीं दे सकता है। इसी तरह, उन्होंने दिल्ली अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों पर भी भरोसा किया है और तर्क दिया है कि दिल्ली अधिनियम के प्रावधान भी प्रश्न में अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के बराबर हैं। दिल्ली सहकारी सोसायटी नियम, 1973 (संक्षिप्तता के लिए, 'दिल्ली नियम') के नियम 14 और 16 का हवाला देते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इसमें एक सदस्य को उतने ही वोट दिए जाते हैं जितने उम्मीदवार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी. उ0प्र0 की धारा 20 एवं 25 के प्राविधानों

के आलोक में। अधिनियम और दिल्ली अधिनियम, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि हरियाणा अधिनियम की व्याख्या यूपी के नियमों द्वारा मानी गई व्याख्या से भिन्न नहीं हो सकती है। और दिल्ली. तदनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि किसी भी स्थिति में उनका वैकल्पिक तर्क सफल होना चाहिए कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 के प्रावधानों को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि एक सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार होंगे।

(12) सुश्री रितु बाहरी, विद्वान राज्य वकील ने तर्क दिया है कि सात सदस्यों वाली कार्यकारिणी का कुल कार्यकाल एक वर्ष है और चुनाव वर्ष 2007 में हुए थे। कार्यकारिणी ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल और मुद्दे पर रोक लगा दी है इस न्यायालय के समक्ष अब जीवित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह नियम वैसे भी 1984 से लागू है, जो बिना किसी कठिनाई के प्रत्येक सदस्य की संतुष्टि के लिए काम कर रहा है। विद्वान राज्य वकील के अनुसार, नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 को अधिनियम की धारा 20 के दायरे से बाहर घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 20 में प्रयुक्त शब्द 'एक वोट' को उसका स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए। अर्थ। उन्होंने कहा है कि पढ़ने की अवधारणा केवल तभी लागू होगी जब अधिनियम की धारा 20 के साथ पढ़े गए नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 में कोई अस्पष्टता हो। उनके अनुसार, उक्त प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर कोई अस्पष्टता सामने नहीं आई जिसके लिए नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 को पढ़ने की आवश्यकता हो।

(13) प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील श्री लोकेश सिंहल ने तर्क दिया है कि इस तथ्य के अलावा कि परिशिष्ट ए का नियम 34 अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुरूप है, नियम की वैधता की जांच का चरण समाप्त हो गया है। विद्वान वकील के अनुसार चुनाव समाप्त होने के बाद कार्रवाई का कोई कारण नहीं बचता है और सदस्यों ने एक वर्ष का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता काल्पनिक रूप से मान रहे हैं कि ऐसा मामला हो सकता है कि सात में से चुनाव में केवल दो का चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय का रुख करने का एक कारण हो सकता है।

(14) सबसे पहले अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों की जांच करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:-

"20. सदस्यों का वोट- सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास सोसायटी के मामलों में एक वोट होगा:

परंतु यह तब जबकि

(ए) वोटों की समानता के मामले में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा:

(बी) किसी सहयोगी सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा;

(सी) जहां सरकार सहकारी समिति की सदस्य है, समिति में सरकार द्वारा नामित प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होगा;

(डी) यदि कोई सदस्य सोसायटी को देय किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा;

स्पष्टीकरण:-इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति, 'सदस्य' में कोई समाज शामिल नहीं है।

(ई) समापन या परिसमापन की प्रक्रिया के तहत लाई गई कोई सोसायटी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगी।"

15) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पहला प्रश्न, जो इस न्यायालय के निर्धारण के लिए उभरेगा, वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 20 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'समाज के मामलों में एक वोट' का शाब्दिक अर्थ यह होगा कि एक सदस्य का अधिकार है समाज के सभी मामलों में किसी का एक ही वोट होता है या उसके पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर वोट होंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 'अफेयर्स' शब्द को 'व्यापार, चिंता, रुचि, मामला' के रूप में परिभाषित किया गया है; 2. परिस्थिति, प्रकरण, घटना, घटना, घटना, घटना, बात; 3.अमौर...'. अभिव्यक्ति को वेबस्टर इनसाइक्लोपीडिक अनब्रिज्ड डिक्शनरी में '1' के अर्थ में भी परिभाषित किया गया है। कुछ भी किया गया या किया जाना है; कार्रवाई या प्रयास की आवश्यकता वाली कोई भी चीज़; व्यापार; चिंता; बहुत महत्व का मामला. 2. मामले, वाणिज्यिक या सार्वजनिक हित या चिंता के मामले; सार्वजनिक या निजी व्यवसाय का लेन-देन..... 3. कोई घटना या प्रदर्शन; एक विशेष कार्रवाई, संचालन, या कार्यवाही: यह मामला कब हुआ.....5. एक निजी या व्यक्तिगत चिंता; एक विशेष कार्य, व्यवसाय, या कर्तव्य: यह आपका कोई मामला नहीं है'। इसलिए, अभिव्यक्ति 'अफेयर' की व्याख्या मामलों के एक अंश के अर्थ में नहीं की जा सकती। इसका पूरा अर्थ देना होगा. एक

निष्पक्ष और उचित निर्माण पर इसका मतलब यह होगा कि एक सदस्य को समाज के हर व्यवसाय, हित, घटना और घटना में अपनी बात कहने का अधिकार होगा। कम से कम जो करने की आवश्यकता है वह यह होगा कि उन्हें चुनाव के माध्यम से समाज के मामलों के एक छोटे से हिस्से के लिए नहीं बल्कि व्यवसायिक चिंता, हित और समाज की घटनाओं को शामिल करते हुए अपने मन की बात कहने की अनुमति दी जाए। इसलिए, समाज से संबंधित प्रत्येक व्यवसाय और मामले या समाज के मामलों में, सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को एक वोट दिया गया माना जाएगा। अधिनियम का अध्याय IV सहकारी सोवियतों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जिसमें बैठकें बुलाने, समिति में नामांकन और सह-विकल्प, पदाधिकारियों का चुनाव, प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति आदि के माध्यम से इसका प्रबंधन शामिल है। अभिव्यक्ति को दिया जाने वाला अत्यधिक शाब्दिक अर्थ ' 'एक वोट' का मतलब यह है कि सहकारी समिति के एक सदस्य के पास केवल एक वोट होगा जहां यह पदाधिकारी का चुनाव या कोई अन्य चुनाव है, तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब यह होगा कि सदस्य केवल एक वोट का प्रयोग करते हुए केवल एक बार वोट कर सकता है जो कानून में एक बेतुकी व्याख्या होगी। . क्या तब यह कहा जा सकता है कि बहु-सदस्यीय प्रबंध समिति के चुनाव में जिन मतदान सदस्यों को उनका चुनाव करना है, उनके चुनाव में केवल एक ही वोट होगा? यदि 'समाज के मामलों में एक वोट' अभिव्यक्ति की ऐसी व्याख्या की जाती है तो सहकारी समिति का कोई सदस्य अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वोट आवाज के एक अंश में सिमट कर रह जाएगा। यदि प्रबंध समिति में कहा गया दस सदस्य तो सोसायटी के एक सदस्य द्वारा दिए गए एक वोट का मूल्य वोट का 1/10वां होगा। इसलिए, प्रावधान की यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि सोसायटी के एक सदस्य के पास एकाधिक सदस्यीय प्रबंध समिति में केवल एक सदस्य के लिए एक वोट होगा। जबकि हम ऐसी किसी वस्तु को कानून में आरोपित नहीं कर सकते। अधिनियम की धारा 20 की व्याख्या करना। हमारा यह भी मानना है कि यदि ऐसा कोई दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होगा क्योंकि एक सदस्य समाज का सदस्य होता है न कि केवल उसके एक हिस्से का सदस्य होता है। प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य के चुनाव या अस्वीकृति में उनकी आवाज गूंजनी चाहिए।

16 एक बार उपरोक्त अर्थ और अधिनियम की धारा 20 का उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो सवाल यह होगा कि उपधारा (2) के खंड (x) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(1) के तहत नियम बनाने की सरकार की शक्ति की प्रकृति क्या है? अधिनियम की धारा 131 का. अधिनियम की धारा 131(1) और (2)(x) के प्रासंगिक प्रावधान तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

"131. नियम बनाने की शक्ति (1) सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी सहकारी समिति वर्ग के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्: -

(i) से (ix) xxx XXX XXX

(x) समिति के सदस्यों का चुनाव और नामांकन, अधिकारियों की नियुक्ति या चुनाव और सदस्यों और अन्य अधिकारियों का निलंबन और निष्कासन और समिति और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निभाए जाने वाले कर्तव्य"

(17) अधिनियम की धारा 131(2) के खंड (x) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, हरियाणा सरकार ने नियम बनाए हैं। नियमों का नियम 3(ii) समाज के मामलों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण पर विचार करते हुए 'सहकारी सिद्धांतों' की बात करता है। नियमों का नियम 25, जो विशेष रूप से शक्ति के अनुसरण में बनाया गया है;

अधिनियम की धारा 131(2)(x) के तहत प्रदत्त, यह प्रावधान है कि सदस्य

एक सहकारी समिति की समिति का निर्वाचित होना आवश्यक है

परिशिष्ट 'ए' में निहित प्रावधानों के अनुसार, जिसमें समाज के सदस्यों के चुनाव के लिए नियम शामिल हैं। नियमों के परिशिष्ट 'ए' का नियम 34 वर्तमान याचिका में विवाद का विषय है और इसे पढ़ना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:-

"34. चुनाव और मतदान के लिए तिथि का निर्धारण - (1) किसी सहकारी समिति के उपनियमों में किसी भी बात के बावजूद, प्राथमिक सहकारी समिति की समिति के चुनाव के लिए कोई क्षेत्र गठित नहीं किया जाएगा। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक मतदाता को चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई सहकारी समिति की आम सभा की बैठक में सभी उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट देने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति का प्रबंधक समिति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले "सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार" को सूचित करेगा, जिसे

इसके बाद "सहायक रजिस्ट्रार" कहा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में जिस तिथि को समिति का कार्यकाल समाप्त होता है, उस तिथि को संबंधित सहकारी समिति गिर जाती है।

(3) चुनाव सहायक रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित तिथि पर होगा। यदि प्रबंधक उप-पैरा (2) के तहत अपेक्षित तारीख को सूचित करने में विफल रहता है, तो सहायक रजिस्ट्रार एक सप्ताह के भीतर चुनाव की तारीख तय करेगा जब उसे पता चलेगा कि समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है या समाप्त होने की संभावना है। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा तय की गई चुनाव की तारीख संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति के प्रबंधक को सूचित की जाएगी।

(4) चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आयोजित किया जाएगा।" (महत्व दिया गया)।

(18) विवाद नियमों के परिशिष्ट 'ए' के इटैलिकाइज़्ड भाग नियम 34(i) के इर्द-गिर्द घूमता है। तर्क यह दिया गया है कि उपधारा (2) के खंड (x) के तहत नियम बनाने वाले प्राधिकारी की शक्ति अधिनियम की धारा 131 का विस्तार उसमें निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए नियम बनाने तक है। खंड (x) निर्दिष्ट करता है कि नियम समिति के सदस्यों के चुनाव और नामांकन के लिए प्रदान कर सकते हैं; अधिकारियों की नियुक्ति या चुनाव; सदस्यों का निलंबन और निष्कासन; अन्य अधिकारी और समिति तथा अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और किये जाने वाले कर्तव्य। सवाल यह होगा कि क्या यह नियम किसी उम्मीदवार को अपनी पसंद का सदस्य चुनने के लिए वोट का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। यदि यह माना जाता है कि वोट के प्रयोग की शक्ति अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (2) के खंड (x) से आती है तो क्या नियम बनाने वाला प्राधिकारी किसी उम्मीदवार के केवल एक वोट का प्रयोग करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है? सहकारी समिति की आम सभा की बैठक में चुनाव में सभी उम्मीदवारों में से अपनी पसंद का एक उम्मीदवार।

(19) सोसायटी के सदस्य को प्रदत्त वोट का अधिकार अधिनियम की धारा 131(2)(x) द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार की शक्ति से प्राप्त नहीं होता है। अधिनियम की धारा 20 द्वारा सदस्यों के वोट देने के अधिकार का ध्यान रखा गया है, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास समाज के मामलों में एक वोट होगा, जिसका अर्थ हम पहले ही कई बार समझ चुके हैं। सदस्य सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर वोट देने का अधिकार होगा। इसलिए, धारा स्वयं ही क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है और अधिनियम की धारा 131(2)(x) केवल सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार को वोट देने के अधिकार को कम करके समाज के सदस्यों को प्रदत्त

अधिकार को सीमित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 का इटैलिकाइज़्ड भाग अधिनियम की धारा 131(2)(x) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए प्राधिकरण से नहीं आता है। तदनुसार, हम मानते हैं कि नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 का इटैलिकाइज़्ड भाग अधिनियम की धारा 131(2)(x) के प्रावधानों के अनुसार सरकार की शक्ति और क्षमता के दायरे से बाहर है। इसलिए, हम नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 के भाग की घोषणा करते हैं, अर्थात्, "और प्रत्येक मतदाता को आम सभा की बैठक में चुनाव में सभी उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट देने का अधिकार होगा।" अधिनियम की धारा 131(2)(x) के अधिकारातीत के रूप में सहकारी समिति को चुनाव के उद्देश्य से बुलाया गया।

(20) हरियाणा अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान यूपी और दिल्ली राज्य में अधिनियमित समान अधिनियमों के समान हैं। यूपी राज्य में, राज्य सरकार ने यूपी अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 443(6) को तैयार किया, जिसमें दी गई व्याख्या यह है कि एक सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे। चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या. इसी तरह, दिल्ली अधिनियम की धारा 25 भी हरियाणा अधिनियम की धारा 20 के बराबर है। वहां भी सरकार द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई व्याख्या के विपरीत ऐसी ही व्याख्या अपनाई गई है। इसलिए, अधिनियम की धारा 20 और नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 की व्याख्या करने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है।

21) राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रितु बाहरी का तर्क, कि चुनाव वर्ष 2007 में हुए थे और प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है और मुद्दा अब जीवित नहीं है, हमें प्रभावित करने में विफल रहा है क्योंकि इसका उत्तर देना आवश्यक है। इस याचिका में उठाया गया प्रश्न केवल अकादमिक नहीं होगा, जैसा कि सुश्री बाहरी ने सुझाव दिया है। माना जा रहा है कि पिछली प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और दोबारा चुनाव होने की संभावना है। सार्वजनिक नीति का यह सुविख्यात सिद्धांत है कि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 पर दोबारा विचार करने का कोई सुझाव नहीं है और इसलिए, यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष बहुत जीवंत है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया किसी भी समय शुरू की जा सकती है। इसने प्रतिवादियों के वकील के माध्यम से विशेष रूप से कहा है कि समाज तत्काल याचिका के निपटान की प्रतीक्षा कर रहा है और इस निर्णय में व्यक्त राय के अनुसार चुनाव होने की संभावना है। इसलिए, हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि यह मुद्दा अकादमिक हो गया है और इस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

(22) उपरोक्त कारणों से, नियमों के परिशिष्ट 'ए' के नियम 34 के आपत्तिजनक हिस्से को अधिनियम की धारा 131(2)(x) के अधिकारातीत घोषित किया जाता है। हम आगे मानते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, एक सदस्य के पास निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर वोट होंगे। सोसायटी के अगले चुनाव कानून के मुताबिक होने चाहिए।

(23) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाड़ी, हरियाणा